पत्रांक/4518/आयु0करउत्तरा0/परिपत्र पत्रा0121/आई0टी0–अनुभाग/14–15

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
**(आई0टी0–अनुभाग)**
दिनांक:: देहरादून 06 जनवरी, 2015

**समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर,**
**समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,**
**समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।**

**//परिपत्र//**
**(ऑनलाइन नोटिस जेनरेट करने के सम्बन्ध में )**

जैसा कि आप अवगत है कि पत्रांक 868 दिनांक 27.05.2014 द्वारा कर निर्धारण वादों के निस्तारण हेतु "Tax assessment module" पर कर निर्धारण कार्यालय द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये थे, जिसके प्रथम चरण में कर निर्धारण से सम्बन्धित अवशेष वादों की सूची, अन्य कर निर्धारण कार्यालयों को वादों का स्थानान्तरण, डीम्ड कर निर्धारण तथा अन्यथा निर्धारित नियमित वादों के निस्तारण का विवरण इन्ट्रानेट तथा विभागीय वेबसाइट पर रखे जाने हेतु माड्यूल तैयार किया गया है जिसके क्रम में आनलाइन नोटिस जेनरेशन से सम्बन्धित Utility develop की गयी है **(छाया प्रति संलग्न)**। Notice Generate करने के सम्बन्ध में कर निर्धारण कार्यालयों द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

**Step 1** – कर निर्धारण कार्यालय में कार्यरत संबंधित कर्मचारी "CT Application"(SWAN) पर जाकर Operater एकाउन्ट में Log in करेंगे। Log in के पश्चात Menu Page खुलेगा जिस पर उपलब्ध Option में से "Tax assessment System" के विकल्प का चयन किया जायेगा।

**Step 2** – तत्पश्चात खुलने वाली Window के Top menu में बने Option "Pendencies" पर उपलब्ध Drop Down में से Generate Notice/Dispose case/Deemed disposal का विकल्प चयनित करना है।

**Step 3** – तत्पश्चात खुलने वाली Window में कर निर्धारण वर्ष पर उपलब्ध Drop down में से कर निर्धारण वर्ष का चयन किया जाना है एवं All अथवा व्यापारी का टिन अंकित करते हुये Submit के Button पर Click करना है।

क्र0सं0 02

**Step 4** – इसके उपरान्त खुलने वाले Page पर व्यापारी से दिये गये सम्बन्धित विवरण में तीन विकल्प उपलब्ध होंगें।

A. Generate Notice    B. Case Scrutiny    C. Dispose the case

**01 Generate Notice:-**

A.1 Generate Notice विकल्प का चयन करने पर चयनित वाद की Case ID स्वयं Reflect होगी। Case type में उपलब्ध Radio button में से State/Center अथवा दोनो का चयन करते हुये generate Notice पर Click किया जायेगा।

A.2 इसके पश्चात State अथवा Central Act के सम्बन्धित Section का चयन Drop down menu में से किया जाना है।

A.3 पुनः Generate Notice पर Click करके Screen पर उपलब्ध format में Notice से संबंधित Mandatery Field यथा Period, Date fixed for hearing, Time fixed for hearing एवं Name of Assissing office भरा जाना है।

A.4 तत्पश्चात उपलब्ध बॉक्स में यदि कोई भी अन्य आधार लिखा जाना है, उसे लिखते हुये Generate पर 'Click' किया जायेगा, आपको एक Message "Notice is Generated Successfully" display होगा, जिसे Ok करने के पश्चात ही प्रिन्ट नोटिस बटन उपलब्ध हो सकेगा।

A.5 इस प्रकार Generated Notice का Print संबंधित Dealar के Login Id पर भी उपलब्ध होगा तथा व्यक्तिगत रूप से पत्रवाहक के माध्यम से तामीली करवाया जायेगा।

**02. Case Scrutiny :-**

Deemed घोषित किये जाने वाले Cases हेतु इस बटन पर Click करके पूर्व में इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र सं0 868 दिनांक 27–05–2014 दी गई व्यवस्था के अनुरूप Case को Deemed किया जा सकेंगा।

क्रमसं0 03

**03. Dispose the Case :-**

ऐसे Cases जिनका निस्तारण पूर्व में ही किया जा चुका है, को Pendency से हटाने के लिए Dispose this Case पर Click किया जाना है। Page के अन्त में Case ID एवं dealar का TIN स्वयं प्रदर्शित होगा, जिस दिनांक को Case पूर्व में Dispose किया गया है Calander में उस दिनांक को चयनित करते हुये Dispose Case पर Click किया जायेगा तथा "Case is diposed Successfully" का Message display होने पर Ok का बटन Click करके पुनः दूसरे Case के लिए यथावश्यकता उक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

यदि पूर्व में Notice Generated है एवं पुनः नोटिस दिये जाने की आवशकता है तो पूर्व में Generated Notice को Dispose करने के उपरान्त पुनः नोटिस जारी किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार Electronically generated Notice एवं Disposed Cases की रिपोर्ट अधिकारी के Login पर उपलब्ध होगी, जिसका अनुश्रवण मुख्यालय स्तर पर भी किया जायेगा।

इस प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में कर निर्धारण स्तर पर सभी Electronically Generated Notices ही प्रेषित किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

**पृ0प0सं0/4518/दिनांक उक्त**

**प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1— मुख्यालय के समस्त एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर।

2— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊं जोन रूद्रपुर।

3— ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र की प्रतियां समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4— ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर गढ़वाल जोन हरिद्वार/कुमाऊं जोन, रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र की प्रतियां अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

1C